(ग) सरकार, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हिंसा को स्पष्ट से अस्वीकार करती है। यह शांति स्थिरता और विकास के लिए समस्याओं का समाधान बातचीत और विचार-विमर्श के द्वारा करने में विश्वास रखती है। मई, 1997 में पूर्वोत्तर राज्यों के अपने दौरे के दौरान और फिर जुलाई, 1997 में जम्मू एवं कश्मीर में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने यह पेशकश की थी कि सरकार उन गुमराह युवकों, के साथ बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार है जो जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवादी रैंकों में और पूर्वोत्तर में भूमिगत तत्वों में शामिल हो गए हैं।

Refusal of States to Set up Units of NHRC

232. SHRI SHIBU SOREN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Bihar has refused the National Human Rights Commission's request to constitute its State unit;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that Bihar reported 2,320 cases during 1996-97, the maximum number of cases of human rights violations, in the country;

(d) the details of action taken for regular review of cases of human rights violations in Bihar; and

(e) the details of other States that refused to set up State units of NHRC?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) and (b) The Government of Bihar has not set up the State Human Rights Commission. It is of the view that the existence of the National Human Rights Commission (NHRC) at the national level makes it redundant to establish a similar authority at the State level too.

(c) It is true that Bihar reported 2,320 cases of violation of Human Rights during 1996-97. However, Bihar was not the State with the maximum number of such cases.

(d) The NHRC takes cognizance of all complaints and reviews all such cases of violation of Human Rights, regularly, as per prescribed procedure, under the Protection of Human Rights Act, 1993.

(e) Goa, Haryana, Maharashtra, Meghalaya, Tripura and NCT of Delhi have not set up State level Human Rights Commissions till now.

पंजीकृत ईसाई-मिशनरियां

233. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुल कितनी पंजीकृत ईसाई मिशनरियां कार्यरत हैं;

(ख) उक्त ईसाई-मिशनरियों में से कितनी मिशनरियां विदेशी सहायता प्राप्त कर रही हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन मिशनरियों द्वारा कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गई;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि ऐसी विदेशी सहायता का सही उपयोग किया जाए; और

(घ) राजस्थान में कुल कितनी ईसाई मिशनरियां कार्यरत हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.6.1998 की स्थिति के अनुसार भारत में 1085 विदेशी मिशनरियां रह रही थी।

(ख) धार्मिक एसोसिएशनों सहित स्वयंसेवी एसोसिएशनों द्वारा, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त विदेशी अभिदाय के ब्यौरे, गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में निहित है। वार्षिक रिपोर्टों (1996-97) की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राजस्थान में तीन विदेशी ईसाई मिशनरियां काम कर रही हैं।

सबरी मलार में भगदड़

234. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1999 के दौरान केरल में सबरी मलार में हुई भगदड़ की जांच कराई है